ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्व नगर, उ0प्र0–201308

पत्रांकः–ग्रे.नो./आई0टी0/2021/424
दिनांकः–18/10/2021

कार्यालय–आदेश

ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण की 115वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 22.08.2019 के मद संख्या–115/8 तथा प्राधिकरण की 121वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 30.12.2020 के अनु0–01/121/19 पर लिये गये निर्णयानुसार आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 परियोजनाओं के स्थान पर औधोगिक विभाग की नीतिगत विवरणिका में अनुमन्य परियोजनाओं की अनुमति दिये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। उक्त अनुमोदित प्रस्ताव के अनुपालन में प्राधिकरण के कार्यालय–आदेश संख्या–ग्रे0नो0/आई0टी0/2019/324, दिनांक 18.09.2019 तथा आदेश संख्याः–ग्रे0नो0/आई0टी0/2021/9427 दिनांक 05.02.2021 के माध्यम से आई0टी0/आई0 टी0ई0एस0 परियोजनाओं को औधोगिक परियोजना में परिवर्तन हेतु आदेश निर्गत किये गये।

ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण की 123वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 25.09.2021 के अनुपूरक–02 के मद संख्या–123/3 में उपरोक्त अनुमोदित नीति के अन्तर्गत ग्रेटर नौएडा आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 हेतु पूर्व में औद्योगिक भू–उपयोग हेतु नियोजित सैक्टरों में किये गये आवंटनों, जिन्हें औद्योगिक विभाग की नीतिगत विवरणिका में अनुमन्य परियोजनाओं की अनुमति दी गयी है, पर एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया हैः–

"आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 परियोजनाओं से औधोगिक परियोजना में परिवर्तित होने वाली ईकाईयों/संस्थाओं को मूल आवंटन (आई0टी0) की तिथि पर औधोगिक उपयोग हेतु प्राविधानित एफ0ए0आर0 ही अनुमन्य होगा। आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 से औधोगिक परियोजना में परिवर्तित होने वाली ईकाईयों/संस्थाओं को यदि और एफ0ए0आर0 की आवश्यकता है तो वह बिल्डिंग बायलॉज की प्राविधानित शर्तों के अन्तर्गत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 कय कर सकता है। यदि ईकाई/संस्था चाहें तो वर्तमान में प्रचलित एफ0ए0आर0 बिल्डिंग बायलॉज में इंगित प्राविधानों के अन्तर्गत कय किया जा सकता है।"

उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के कार्यालय–आदेश संख्या–ग्रे0नो0/आई0टी0/2019/324, दिनांक 18.09.2019 तथा आदेश संख्याः–ग्रे0नो0/आई0टी0 /2021/9427, दिनांक 05.02.2021 की अवशेष शर्तें यथावत् रहेगी।

18/10/21

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक(वित्त/नियोजन/परियोजना) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी (बोर्ड बैठक/सिस्टम/आई0टी0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। FTS-65481

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी